न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 308/26
लौकहा थाना कांड सं0 – 67/2025

दिनांकः– 13/04/2026

प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 सब्बर, मो0 बजीर, मो0 मुमताज उर्फ मोहम्मद शमशादी एवं मो0 नौशाद की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना की गयी कि उक्त प्रार्थी अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन से संबंधित थाना कांड संख्या यथा लौकहा थाना कांड संख्या 67/25 में दिनांक 12/04/2026 को गिरफ्तार कर उसे दिनांक 12/04/2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रार्थना की गयी कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में सुनवाई हेतु दिनांक 16/04/26 की तिथि निर्धारित है, जबकि प्रार्थी अभियुक्तगण की गिरफतारी के कारण उसकी ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन व्यर्थ हो चुका है। प्रार्थी अभियुक्तगण अब नियमित जमानत आवेदन दाखिल करना चाहता है।

अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में अगली निर्धारित तिथि 16/04/26 को वापस लेते हुए आज की तिथि पर निश्चित कर प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन वापस करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। मामले की उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में अगली निर्धारित तिथि 16/04/26 को वापस लेते हुए आज की तिथि निश्चित की जाती है और प्रार्थी अभियुक्तगण के निवेदन पर प्रार्थी अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय
सुपौल